अक्सर पूछे गए प्रश्न:

क. राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन के बारे में

1. जल जीवन मिशन (जेजेएम) क्या है?

जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 'कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराना है। इस मिशन के तहत देश में लगभग 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को उनके घरों तक नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जानी है।

2. जल जीवन मिशन के परिणाम/ लक्ष्य क्या हैं?

i.) प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नियमित तथा दीर्घावधिक आधार पर पर्याप्त मात्रा तथा निर्धारित गुणवत्ता में पेयजल मुहैया कराते हुए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराना;

ii.) विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, तथा सामुदायकि भवनों को कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है;

iii.) जलापूर्ति प्रणाली अर्थात् जल स्रोत, जलापूर्ति और अवसंरचना और नियमित प्रचालन व रख-रखाव हेतु दी जाने वाली निधियां के स्थायित्व को सुनिश्चित करना;

iv.) नकद और वस्तुगत रूप में पूंजीगत व्यय में योगदान के जरिए स्थानीय समुदायों के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व का विकास करना;

v.) विभिन्न पहलुओं तथा सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और हितधारकों को इस तरह से शामिल करना कि जल प्रबंधन प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार बन सके;

vi.) योजनाओं के दीर्घावधिक प्रचालन और रख-रखाव के लिए स्थानीय समुदाय/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/ पानी समिति को सुदृढ़ करना।

3. राष्ट्रीय जल जीवन कोष (आरजेजेके) क्या है?

राष्ट्रीय जल जीवन कोष, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्थापित एक पंजीकृत लोक धर्मार्थ (चेरिटेबल ट्रस्ट) न्यास है। राष्ट्रीय जल जीवन कोष का न्यास संबंधी कार्य नियमावली का पंजीकरण नई दिल्ली में किया गया है। इसकी स्थापना गांवों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था को बनाने के लिए प्राप्त धर्मार्थ (चेरिटेबल) अंशदान/ दान के स्वीकारक के रूप में सेवा प्रदान करने हेतु की गई है।

4. राष्ट्रीय जल जीवन कोष (आरजेजेके) की न्यासी कौन हैं?

सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राष्ट्रीय जल जीवन कोष के अध्यक्ष होंगे तथा अन्य न्यासी निम्नानुसार हैं:

i.) सीईओ, नीति आयोग
ii.) सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
iii.) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
iv.) सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
v.) सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
vi.) सचिव (सी.पी.वी. एंड ओ.आई.ए.), विदेश मंत्रालय
vii.) सचिव, व्यय विभाग

5. राष्ट्रीय जल जीवन कोष का मुख्यालय कहां है?

राष्ट्रीय जल जीवन कोष का मुख्यालय - चौथा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 पर स्थित है।

ख. न्यास के उद्देश्य और स्वीकार्य गतिविधियां

6. राष्ट्रीय जल जीवन कोष के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

राष्ट्रीय जल जीवन कोष के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i.) व्यक्तियों/ संगठनों को अपने पंसदीदा गाँव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दान/ योगदान करने हेतु प्रेरित करना।;
ii.) ग्रामीण घरों, विद्यालयों, आँगनवाड़ी केंद्रों, आदिवासी आवासीय विद्यालयों, स्वास्थ्य-सह-कल्याण केंद्रों, आदि में नल जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत चल रहे प्रयासों में शामिल करना।;
iii.) ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल सुनिश्चित करने हेतु अनुसंधान और विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना।
iv.) स्थानीय ग्रामीण समुदाय का उनकी जल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं रख-रखाव हेतु क्षमता संवर्धन करना।
v.) जल सुरक्षा हेतु जल संरक्षण प्रयासों, पेयजल स्रोतों के उन्नयन/ सुदृढ़ीकरण, गंदले जल का शोधन व पुनःउपयोग, आदि को बढ़ावा देना।

7. राष्ट्रीय जल जीवन कोष के तहत स्वीकार्य गतिविधियां क्या हैं?

निम्नलिखित व्यापक गतिविधियों को राष्ट्रीय जल जीवन कोष से वित्त पोषित किया जाएगा:

i.) जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल स्रोतों (सतही और भू-जल दोनों) का विकास करना और अवसंरचना का निर्माण करना;

ii.) ग्रामीण पेयजलापूर्ति विशेषकर जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अल्पावधिक/तत्काल राहत सहित अनुसंधान व विकास और नवाचारी परियोजनाएं शुरू करना;

iii.) प्रदर्शन संबंधी प्रयोजन हेतु नवाचारी प्रस्ताव;

iv.) गांव में गंदले पानी (ग्रे-वाटर) का प्रबंधन;

v.) समुदायों का क्षमता निर्माण;

vi.) विभिन्न स्तरों पर जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में शामिल अभिज्ञात कार्मिकों का कौशल निर्माण;

vii.) जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन अपेक्षाओं के अनुसार राज्य और/अथवा जिला स्तर पर मानव संसाधन/ निधियन उपलब्ध कराना;

viii.) आईईसी, क्षमता निर्माण, अभियान चलाना आदि; और

ix.) कार्यकारी समिति अथवा शासी परिषद द्वारा यथा अनुमोदित अथवा राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से अधिदेशित कोई अन्य गतिविधियां।